बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

अधिसूचना सं.-वि.प.स्था.- 04/2019 (नी.वि.)- ......3485 (2)............/वि.प., पटना। दिनांक-21.11.2025

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8 (ख) के अधीन सभापति, बिहार विधान परिषद्, परिषद् सचिवालय में समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों पर भर्त्ती की पद्धति/ पद्धतियां, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन के विनियमन हेतु निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं:-

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (सीधी भर्त्ती की पद्धतियां) आदेश, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान परिषद् सचिवालय (सीधी भर्त्ती की पद्धतियाँ) आदेश, 2025 कही जा सकेगी।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
3. (क) बिहार विधान परिषद् सचिवालय में समूह-ख एवं समूह-ग के विभिन्न कोटि के पदों को सीधी भर्त्ती हेतु भर्त्ती की पद्धति, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक आदि के आधार पर निम्नवत् 08(आठ) समूहों में बांटा जाता है-

क्र.	समूह	पद
1.	समूह-1	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
2.	समूह-2	जनसम्पर्क पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी सॉफ्टवेयर), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू सॉफ्टवेयर), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू अनुवाद), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रकाशन), अनुवादक (अंग्रेजी/हिन्दी), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रूफ), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (कातिब), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रकाशन), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रूफ), हिन्दी विशेषज्ञ, सहायक अवधायक
3.	समूह-3	डाटा इंट्री ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपिक
4.	समूह-4	प्रतिवेदक, निजी सहायक, आशुलिपिक
5.	समूह-5	चालक
6.	समूह-6	सुरक्षा प्रहरी
7.	समूह-7	क्रम पत्र वितरक, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी), कार्यालय परिचारी (फरास), कार्यालय परिचारी (दरबान), कार्यालय परिचारी (रात्रि प्रहरी), कार्यालय परिचारी (माली), कार्यालय परिचारी (उर्दू कोषांग)
8.	समूह-8	प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर

(ख) सभी समूह के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा।

4. सभी समूह के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु भर्त्ती की पद्धति/पद्धतियां, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक और परीक्षाओं के संचालन आदि इस आदेश के द्वारा विनियमित किया जाता है।

अध्याय-1
(भर्त्ती की पद्धति)

5. (क) समूह-1 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्त्ती हेतु तीन चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी- (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस आफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा एवं (3) मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक) । **मेधा सूची-** हिन्दी टंकण एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ख) समूह-2 के पदों पर सीधी भत्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी –

***(क)* जनसम्पर्क पदाधिकारी** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु चार चरणों में जांच/ परीक्षा ली जायेगी (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा (कम्प्यूटर आधारित), (3) मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक) एवं (4) साक्षात्कार। **मेधा सूची-** मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ख) **सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्द सॉफ्टवेयर)** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु तीन चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी- (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस आफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा एवं (3) मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक) । **मेधा सूची-** हिन्दी टंकण एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ग) **सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू सॉफ्टवेयर)** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु तीन चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी- (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) हिन्दी एवं उर्दू टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस आफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा एवं (3) मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक) । **मेधा सूची-** उर्दू टंकण एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(घ) **समूह-2 के शेष** पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अलग-अलग तीन चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा (कम्प्यूटर आधारित) एवं (3) मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक)। **मेधा सूची-** मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ग) **समूह 3** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा। **मेधा सूची-** हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) एवं एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(घ) **समूह-4** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी -

(क) **प्रतिवेदक** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु तीन चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा एवं हिन्दी और अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा एवं (3) साक्षात्कार । **मेधा सूची**-टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ख) **निजी सहायक** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा एवं हिन्दी और अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा । **मेधा सूची-** टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ग) **आशुलिपिक** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा) एवं (2) हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा एवं हिन्दी और अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा । **मेधा सूची**-टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के हिन्दी आशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ङ) **समूह-5** के **चालक** के पद पर सीधी भर्त्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी। (1) लिखित परीक्षा (2) चालन कौशल एवं ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा/ साक्षात्कार । **मेधा सूची-** लिखित परीक्षा तथा ट्रेड जांच(प्रायोगिक) परीक्षा/ साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधारपर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(च) **समूह-6** के सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु दो चरणों में जांच परीक्षा ली जायेगी। (1) लिखित परीक्षा एवं (2) शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (RFID आधारित दौड़)। परिषद् सचिवालय के उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी, मार्शल स्तर से अन्यून पदाधिकारी एवं बिहार पुलिस सेवा के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी की एक त्रिसदस्यीय पैनल गठित किया जाएगा, इस पैनल के द्वारा शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता (RFID आधारित दौड़) जांच परीक्षा ली जायेगी। एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण पत्र या विशिष्ट खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो या जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय के टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व किया हो, को प्राथमिकता दी जायेगी । **मेधा सूची-** लिखित परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (RFID आधारित दौड़) के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। उक्त वर्णित एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण पत्र धारक एवं विशिष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक को भी मेधा सूची में सम्मिलित किया जायेगा। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को शारीरिक दोष, विकृति तथा व्याधि मुक्त होना चाहिए।

(छ) **समूह-7** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु सिर्फ लिखित परीक्षा ली जायेगी। **मेधा सूची-** लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ज) **समूह-8** के पदों पर सीधी भत्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी -

(क) **प्रोग्रामर** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु तीन चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक) एवं (3) साक्षात्कार । **मेधा सूची-** मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ख) **सहायक प्रोग्रामर** के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी (1) प्रारंभिक परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा), (2) मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक) । **मेधा सूची-** मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

अध्याय-2
प्रारंभिक परीक्षा

6. समूह-1, समूह-2, समूह-3, समूह-4 एवं समूह-8 के पदों पर भर्त्ती हेतु सर्वप्रथम OMR उत्तर-पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जायेगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी ही अगले चरण की परीक्षा/जांच हेतु योग्य होंगे। किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।

7. समूह-1, समूह-2, समूह-3, समूह-4 एवं समूह-8 के पदों पर भर्त्ती हेतु अलग-अलग प्रारंभिक परीक्षा ली जायेगी। समूह विशेष के सभी पदों के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा ली जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर अगले चरण की परीक्षा/जांच हेतु अलग-अलग आरक्षण कोटिवार सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी।

8. **प्रारंभिक परीक्षा:- (1)** प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे।

(2) प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में में किसी एक का चयन करना होगा।

(3) प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 02 (दो) घंटे की होगी और कुल 100 (एक सौ) प्रश्न होंगे।

(4) प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 (चार सौ) अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 04 (चार) अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जाएगी।

(5) प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/ अंग्रेजी होगी। यदि हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे।

(6) (1) समूह-1, समूह-2, समूह-3 एवं समूह-4 के लिए प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे-

(क) सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 (चालीस) होगी।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी।

(ग) मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी।

(2) **समूह-8** के लिए प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे-

(क) सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 20 (बीस) होगी।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी।

(ग) मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या 20 (बीस) होगी

(घ) Programming Concept Using C/ C++/Java/ Python/ SQL/ Dot Net, Software Engineering, Operating System and Computer Networks. की प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी।

(7) इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती जांच/परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। परंतु समूह-3, समूह-4 तथा समूह-8 के कुल रिक्त पदों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर परीक्षार्थियों का अगले चरण की परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा।

(8) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प सं.-2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।

(9) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ किसी राज्य सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।

(10) अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जायेगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी।

9. प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

(क) सामान्य अध्ययनः- इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जायेंगे।

(i) **सम-सामयिक विषय-** महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल-खिलाड़ी।

(ii) **भारत और इसके पड़ोसी देश-** पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास/ संस्कृति/ भूगोल/ आर्थिक परिदृश्य/ कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणितः- इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जायेंगे।

(i) **सामान्य विज्ञान-** भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान।

(ii) **गणित-** संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

(ग) मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार (Mental Ability and Logical Reasoning) :- इसमें शाब्दिक एवं गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जायेंगे-

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन और कूट व्याख्या।

(घ) Programming Concept Using C/ C++/Java/ Python/ SQL/ Dot Net, Software Engineering, Operating System and Computer Networks.

लिखित परीक्षा

6. समूह-5, समूह- 6 एवं समूह-7 के पदों पर भर्ती हेतु OMR उत्तर-पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा ली जायेगी।

7. समूह-5, समूह- 6 एवं समूह-7 के पदों पर भर्ती हेतु अलग-अलग लिखित परीक्षा ली जायेगी। **(1) समूह-5 के चालक** पद हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही अगली चरण की परीक्षा चालन कौशल एवं ट्रेड जांच (प्रायोगिक)/ साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। **मेधा सूची-** लिखित परीक्षा एवं चालन कौशल एवं ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा/ साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। **(2) समूह-6 के सुरक्षा प्रहरी** पद हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही अगली चरण की शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (RFID आधारित दौड़) के लिए चयन किया जायेगा। **मेधा सूची-** लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (RFID आधारित दौड़) में प्राप्त अंको के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। **(3) समूह-7 के सभी पदों** के लिए एक ही लिखित परीक्षा ली जायेगी। **मेधा सूची-** लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

8. **लिखित परीक्षा:-** (1) लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे।

(2) प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में में किसी एक का चयन करना होगा।

(3)लिखित परीक्षा की अवधि 02 (दो) घंटे की होगी और कुल 100 (एक सौ) प्रश्न होंगे।

(4) लिखित परीक्षा कुल 400 (चार सौ) अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 04 (चार) अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जाएगी।

(5) लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/ अंग्रेजी होगी। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। यदि हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिन्दी विषय के प्रश्न सिर्फ हिन्दी (देवनागरी लिपि) में मुद्रित रहेंगे।

(6) (1) **समूह-5** चालक के पद हेतु लिखित परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे-

(क) सामान्य अंक गणित में प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी। ।

(ख) सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से संबंधित प्रश्नों की संख्या 40 (चालीस) होगी। ।

(ग) सामान्य हिन्दी में प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी। ।

(2) समूह-6 सुरक्षा प्रहरी के पद एवं समूह-7 के सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे-

(क) सामान्य अंक गणित में प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी। ।

(ख) सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान में प्रश्नों की संख्या 40 (चालीस) होगी। ।

(ग) सामान्य हिन्दी में प्रश्नों की संख्या 30 (तीस) होगी। ।

(7) **समूह- 5 एवं समूह-6 के पदों** हेतु इस लिखित परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती जांच/ परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा, परंतु उसकी संख्या रिक्त पदों की कुल संख्या के लगभग दस गुणा से अधिक नहीं होगी।

(8) लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे। समूह-6 के पद हेतु अभ्यर्थियों को शारीरिक दोष, विकृति तथा व्याधि मुक्त होना चाहिए।

(9) वैसे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/ किसी राज्य सेवा आयोग/ अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यर्थीयों की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।

(10) अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जायेगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी।

9. (1) समूह-5 के पदों हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

(क) सामान्य अंक गणित:- 30 प्रश्न

लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), महत्तम समापवर्त्य (HCF), वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ-हानि, बट्टा, बिक्रीकर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात ।

(ख) सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से संबंधित- 40 प्रश्न

संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं उर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन।

संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केन्द्र-राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल।

मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका।

भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद।

प्रकाश-परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उर्जा के स्त्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।

समसामयिकी घटनायें।

यातायात नियम से संबंधित ।

(ग) सामान्य हिन्दी- 30 प्रश्न:-

संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द-शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय।

10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न। ।

(2) समूह-6 एवं समूह-7 के पदों हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

(क) सामान्य अंक गणित:- 30 प्रश्न

लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), महत्तम समापवर्त्य (HCF), वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ-हानि, बट्टा, बिक्रीकर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात ।

(ख) सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान- 40 प्रश्न

संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं उर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन।

संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केन्द्र-राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल।

मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका।

भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद।

प्रकाश-परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उर्जा के स्त्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।

समसामयिकी घटनायें।

(ग) सामान्य हिन्दी- 30 प्रश्न

संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द-शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय।

10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न। ।

अध्याय-3
(आशुलिपि / टंकण / वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा)

10. समूह-1, समूह-2, समूह-3 एवं समूह-4 के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही इस चरण की यथाविनिर्दिष्ट आशुलिपि/ टंकण/ वर्ड प्रोसेसिंग जांच/परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु योग्य होंगे।

11. (क) समूह-1 के पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। **(ख) समूह-2- (1) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी सॉफ्टवेयर)** के पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी।

(2) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू सॉफ्टवेयर) के पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं उर्दू टंकण की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। **(3) समूह-2 के अलग-अलग शेष पदों** हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। **(ग) समूह- 3** के पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। **(घ) समूह-4** के पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा तथा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी।

12. (1) समूह-1, समूह-2, समूह-3 एवं समूह-4 के पदों हेतु कुल 100 अंकों की 01(एक) घंटा की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य होगा। समूह-1, समूह-2 एवं समूह-4 के पदों हेतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। समूह 3 के पदों हेतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी। जो उम्मीदवार इस पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे वे सीधी भर्ती हेतु योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

(2) समूह-1, समूह-2, समूह-3 एवं समूह-4 के पदों हेतु यथाविनिर्दिष्ट आशुलिपि/ टंकण / वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा निम्नवत ली जायेगी -

(क) समूह-1- सहायक प्र०प० **के पद हेतु** हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का०-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी। समूह-1 के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिस (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। समूह-1 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु टंकण जांच परीक्षा/ एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/ परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ख) समूह-2- (1) समूह-2 के अलग- अलग सभी पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा की जायेगी। यह 100 अंकों की 01 घंटे की परीक्षा होगी। **सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू अनुवाद), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रकाशन), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रूफ), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (कातिब) एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू सॉफ्टवेयर)** के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की उर्दू में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी **अनुवादक (अंग्रेजी/ हिन्दी), सहायक अवधायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रकाशन), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रूफ), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी सॉफ्टवेयर) एवं हिन्दी विशेषज्ञ** के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जायेगी। समूह-2 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। **(2) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी सॉफ्टवेयर) के पद हेतु** हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का.-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी। सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी सॉफ्टवेयर) के पद हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिस (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। टंकण जांच परीक्षा/ एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/ परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। **(3) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू सॉफ्टवेयर) के पद हेतु** हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं उर्दू टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का.-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू सॉफ्टवेयर) के पद हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की उर्दू में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। टंकण जांच परीक्षा/ एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/ परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ग) समूह-3 – निम्नवर्गीय लिपिक के पद हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी तथा **डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद हेतु** प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति की ली जायेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का.-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी। निम्नवर्गीय लिपिक एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। टंकण जांच परीक्षा/ एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी सीधी भर्त्ती हेतु योग्य नहीं माने जाएंगे।

(घ) समूह-4- (1) प्रतिवेदक - (क) प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की 100 (एक सौ) अंकों की आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा होगी तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा और एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जाएगी । आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 (सत्तर) मिनट का समय अनुमान्य होगा। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छुट अनुमान्य होगा।

(ख) अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा कि वे एक वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट गति की आशुलिपि जांच में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे अन्यथा उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तथा विनिर्दिष्ट श्रेणी में उनकी संपुष्टि स्वीकृत नहीं होगी।

(ग) प्रतिवेदक के पद हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की हिन्दी और अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 35 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/ परी-1049/77 का.-9. दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी।

(घ) प्रतिवेदक के पद हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। टंकण जांच परीक्षा/ एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(2) निजी सहायक- (क) प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की 100 (एक सौ) अंकों की आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा होगी तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा और एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जाएगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 500 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 50 (पचास) मिनट का समय अनुमान्य होगा। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा।

(ख) निजी सहायक के पद हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की हिन्दी और अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण (कम्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का.-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी।

(ग) निजी सहायक के पद हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। टंकण जांच परीक्षा एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी चयनित नहीं होंगे।

(3) **आशुलिपिक- (क)** प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की 100 (एक सौ) अंकों की आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा होगी तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा और एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जाएगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) की परीक्षा 05 (पांच) मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 400 शब्दों की होगी। आशुलिपि (हिन्दी) के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 40 (चालीस) मिनट का समय अनुमान्य होगा। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10 (दस) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगा।

(ख) आशुलिपिक के पद हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की हिन्दी और अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जायेगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का.-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य होगी।

(ग) आशुलिपिक के पद हेतु 50 अंकों की हिन्दी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग (कम्प्यूटर आधारित) जांच परीक्षा ली जायेगी। टंकण जांच परीक्षा/ एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी चयनित नहीं होंगे।

अध्याय - 4
(मुख्य परीक्षा)

13. मुख्य परीक्षा- (1) समूह-1 के पद हेतु हिन्दी और अंग्रेजी टंकण परीक्षा एवं एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा।

(2) समूह-2- (क) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी सॉफ्टवेयर) के पद हेतु हिन्दी और अंग्रेजी टंकण परीक्षा एवं एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा। **(ख) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू सॉफ्टवेयर)** के पद हेतु हिन्दी और उर्दू टंकण परीक्षा एवं एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा। **(ग) समूह-2 के शेष सभी पदों** हेतु प्रारंभिक परीक्षा एवं एम एस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जायेगा।

(3) समूह-1 एवं समूह-2 के सभी पदों के लिए अलग-अलग मुख्य परीक्षा ली जायेगी, जो दो-दो पत्रों की होगी। सभी पत्र वर्णनात्मक होंगे।

(4) मुख्य परीक्षा हेतु पुनः अलग से सूचना प्रकाशित किया जायेगा।

14. मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम- समूह-1 एवं समूह-2 के सभी कोटियों के पदों के लिए अलग-अलग ली जाने वाली मुख्य परीक्षा दो पत्रों में ली जायेगी जो वर्णनात्मक होगी। पाठ्यक्रम एवं अंकों का विवरण पदवार निम्नवत् है-

समूह - 1

(1) समूह-1 – सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है।

(1) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी :-

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

स्पष्टीकरण - मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी विषय में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जायेगी। जो उम्मीदवार इस पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक-100 अवधि- 02 (दो) घंटा।

(क) सामान्य अध्ययन (80 अंक)- विश्व/ भारत / बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं, भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां, राज्य का विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के अधिकारी, बिहार विधान मंडल के सदस्यों की निरर्हताएं, शक्तियां एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव, आपात उपबंध, संविधान का संशोधन, अन्य संबंधित मुद्दे और दसवीं अनुसूची।

(ख) संख्यात्मक योग्यता (20 अंक)- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज,लाभ और हानि, समय एवं दूरी।

समूह-2

(2) समूह-2 -जनसम्पर्क पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी सॉफ्टवेयर), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू सॉफ्टवेयर), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू अनुवाद), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रकाशन), अनुवादक (अंग्रेजी/ हिन्दी), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रूफ), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (कातिब), सहायक प्रशाखा पदाधिकारी(हिन्दी प्रकाशन) , सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रूफ), हिन्दी विशेषज्ञ एवं सहायक अवधायक यह सभी स्नातक शैक्षणिक योग्यता के पद हैं।

(1) जनसम्पर्क पदाधिकारी :- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। साथ ही पत्रकारिता या मास कम्यूनिकेशन या पब्लिक रिलेशन्स में डिप्लोमा की उपाधि हो तथा हिन्दी अंग्रेजी भाषा में कार्यसाधक ज्ञान हो।

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र/ समाचार लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र/ समाचार लेखन , व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

स्पष्टीकरण- मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार इस पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

Introduction to Public Relations, Introduction to Communication and Media, Introduction to Journalism (Reporting, Writing and Editing), Indian Social System, Theory of Communication, State Politics and Constitution, Writing for Media, Media Laws & Ethics, Media Management, Development and Communication, Fundamentals of Economics & Indian Economy, National and International Affairs, Introduction to Advertising, Television Journalism.

(2) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी सॉफ्टवेयर) का यह पद स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन में स्नातक या समकक्ष की उपाधि हो अथवा उपर्युक्त वर्णित तकनीकी विषयों में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष की उपाधि हो। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में कार्यसाधक ज्ञान हो।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे-

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

Programming Concept Using C/ C++/ Java/ SQL/ Dot Net से संबंधित प्रश्न होंगे।

स्पष्टीकरण- मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(3) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू सॉफ्टवेयर) :- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य होना चाहिए। उर्दू कम्प्यूटर प्रोग्राम का डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट एवं उर्दू कम्प्यूटर प्रोग्राम पर कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव हो।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी/उर्दू भाषा का ज्ञान एवं उर्दू हिन्दी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे पत्र में उर्दू / हिन्दी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(i) प्रथम पत्र- अंक-100 अवधि-02 (दो) घंटा।

उर्दू भाषा का ज्ञान - निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक-100 अवधि-02 (दो) घंटा।

उर्दू/हिन्दी अनुवाद (100 अंक)- इस पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे जो उर्दू से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से उर्दू अनुवाद के लिए होंगे।

(4) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू):- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य होना चाहिए।

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा ।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

(ख) उर्दू भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

स्पष्टीकरण- मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी तथा उर्दू विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य होगा किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जायेगी। जो उम्मीदवार इस पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक 100 अवधि-02 (दो) घंटा ।

(क) सामान्य अध्ययन (80 अंक)- विश्व/ भारत / बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां, राज्य का विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के अधिकारी, बिहार विधान मंडल के सदस्यों की निरर्हताएं, शक्तियां एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण, अधिकारों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव, आपात उपबंध, संविधान का संशोधन, अन्य संबंधित मुद्दे और दसवीं अनुसूची।

(ख) संख्यात्मक योग्यता (20 अंक)- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज,लाभ और हानि, समय एवं दूरी।

(5) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू अनुवाद) :- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। स्नातक स्तर तक उर्दू भाषा के साथ हिन्दी में स्नातक की उपाधि या स्नातक स्तर तक हिन्दी भाषा के साथ उर्दू में स्नातक की उपाधि हो। (क) हिन्दी से उर्दू या उर्दू से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्षों का अनुभव। (ख) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से हिन्दी से उर्दू तथा विषर्ययेन अनुवाद में डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र हो ।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी/उर्दू भाषा का ज्ञान एवं उर्दू हिन्दी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे पत्र नें उर्दू / हिन्दी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(i) प्रथम पत्र- अंक-100 अवधि-02 (दो) घंटा ।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

(ख) उर्दू भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक-100 अवधि-02 (दो) घंटा ।

उर्दू/हिन्दी अनुवाद (100 अंक) इस पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे जो उर्दू से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से उर्दू अनुवाद के लिए होंगे।

(6) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रकाशन):- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। मुख्य विषय उर्दू के साथ स्नातक उपाधि या समकक्ष हो। अंग्रजी-हिन्दी से उर्दू रूपांतरण का ज्ञान। उर्दू अथवा हिन्दी में मौलिक लेखन। अनुवाद कार्य का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी भाषा का ज्ञान एवं उर्दू हिन्दी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त/विस्तृत तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जांच में संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे पत्र में हिन्दी/अंग्रेजी में उर्दू रूपांतरण संबंधी प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(i) प्रथम पत्र- अंक-100 अवधि-02 (दो) घंटा।

(क) उर्दू भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ख) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

हिन्दी/अंग्रेजी से उर्दू रूपांतरण (100 अंक)- इस पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे जो हिन्दी एवं अंग्रेजी उर्दू रूपांतरण के लिए होंगे।

(7) अनुवादक (अंग्रेजी/ हिन्दी) :- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है।स्नातक स्तर तक अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी में स्नातक की उपाधि या स्नातक स्तर तक हिन्दी भाषा के साथ अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि हो। (क) हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रजी से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्षों का अनुभव। (ख) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/ संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी तथा विषर्ययेन अनुवाद में डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र हो।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे पत्र में हिन्दी/ अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

अंग्रेजी/ हिन्दी अनुवाद (100 अंक)- इस पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे, जो अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए होंगे।

(8) सहायक अवधायक:- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है।

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (100 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

स्पष्टीकरण - मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिन्दी विषय में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। जो उम्मीदवार इस पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

(क) सामान्य अध्ययन (80 अंक)- विश्व/ भारत/ बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं।

(ख) संख्यात्मक योग्यता (20 अंक)- संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय एवं दूरी ।

(9) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू प्रूफ) :- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। मुख्य विषय उर्दू के साथ स्नातक उपाधि या समकक्ष हो। उर्दू प्रूफ रीडिंग का व्यावहारिक अनुभव। हिन्दी उर्दू अनुवाद का अनुभव हो।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी/उर्दू भाषा का ज्ञान एवं उर्दू हिन्दी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे पत्र में उर्दू / हिन्दी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(i) प्रथम पत्र- अंक-100 अवधि-02 (दो) घंटा ।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

(ख) उर्दू भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक-100 अवधि-02 (दो) घंटा ।

उर्दू/हिन्दी अनुवाद (100 अंक) इस पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे जो उर्दू से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से उर्दू अनुवाद के लिए होंगे।

(10) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (कातिब) :- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। उर्दू, फारसी एवं अरबी भाषा में किताबत का ज्ञान आवश्यक। उर्दू कम्प्यूटर प्रोग्राम की जानकारी रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी/उर्दू भाषा का ज्ञान एवं उर्दू हिन्दी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे पत्र में उर्दू / हिन्दी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(i) प्रथम पत्र- अंक-100 अवधि-02 (दो) घंटा ।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

(ख) उर्दू भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण ।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक-100 अवधि-02 (दो) घंटा ।

उर्दू/हिन्दी अनुवाद (100 अंक) इस पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे जो उर्दू से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से उर्दू अनुवाद के लिए होंगे।

(11) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रकाशन) :- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। मुख्य विषय हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि या समकक्ष हों । पंजीकृत संस्था से संपादन एवं हिन्दी प्रूफ रीडिंग का एक वर्ष का अनुभव। हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का अनुभव हो।

मुख्य मरीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे प्रत्र में हिन्दी/ अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा ।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

अंग्रेजी/ हिन्दी अनुवाद (100 अंक)- इस पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे जो अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए होंगे।

(12) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रूफ) :- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। मुख्य विषय हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि या समकक्ष हों। हिन्दी प्रूफ रीडिंग का न्यूनतम एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रजी से हिन्दी में अनुवाद का अनुभव हो।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे पत्र में हिन्दी/ अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

अंग्रेजी/ हिन्दी अनुवाद (100 अंक)- इम पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे जो अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए होंगे।

(13) हिन्दी विशेषज्ञ:- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद है। मुख्य विषय हिन्दी के साथ स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष हो। हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का अनुभव हो।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे जिसमें प्रथम पत्र हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा को शुद्ध, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने की क्षमता की जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे। दूसरे पत्र में हिन्दी/ अंग्रेजी अनुवाद से संबंधित प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

(क) हिन्दी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ख) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान (50 अंक)- निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य-विन्यास, संक्षेपण।

(ii) द्वितीय पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

अंग्रेजी/ हिन्दी अनुवाद (100 अंक) इम पेपर में अवतरण (Passages) दिये जायेंगे जो अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए होंगे।

समूह-8

(3) समूह-8 – (क) प्रोग्रामर:- यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता का पद हैं। एम.सी.ए./ एम. टेक. (कम्प्यूटर साइंस) या बी.ई./बी. टेक. (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ कम्प्यूटर साईंस /इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन) की डिग्री हो। केन्द्र सरकार/ बिहार सरकार के अधीनस्थ विभाग/ संस्थान या बहुराष्ट्रीय कंपनियों/ संस्थाओं में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एस. क्यू. एल., वेब डेवलेपमेंट,पाईथन में कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव प्राप्त हो। **(ख) सहायक प्रोग्रामर:-** यह स्नातक शैक्षणिक योग्यता के पद हैं। एम.सी.ए./ बी.ई./ बी. टेक. (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ कम्प्यूटर साईंस/ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन) की डिग्री या डाटा साईस एण्ड एप्लीकेशन में स्नातक योग्यता हो।

मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे-

(i) प्रथम पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

Programming Concept Using C/ C++/Java/ Python/ SQL/ Dot Net.

(ii) द्वितीय पत्र- अंक- 100 अवधि-02 (दो) घंटा।

Software Engineering, Operating System and Computer Networks से संबंधित प्रश्न होंगे।

स्पष्टीकरण- मुख्य परीक्षा के दोनों पत्रों में अलग-अलग 30 प्रतिशत अर्हतांक आवश्यक होगा। अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जायेगी।

अध्याय - 5

(प्रायोगिक जांच / शारीरिक योग्यता परीक्षा)

15. समूह-5- चालक, यह मैट्रिक शैक्षणिक योग्यता का पद है। वैध ड्राईविंग लाइसेंस (एल एम वी / एच एम वी) धारक हो। यातायात विनियमन तथा मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान, काब्यूरेटर, प्लग आदि साफ करने की क्षमता। कार इंजिन का ज्ञान, पेट्रॉल/डीजल या सीएनजी का चालन तथा खराबियों को पता लगाने एवं चालन की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने की क्षमता। चक्का बदलने तथा टायर में ठीक से हवा भरने की योग्यता। यांत्रिक तथा चालन कौशल में प्रायोगिक जांच।

सीधी भर्ती हेतु (1) लिखित परीक्षा (400 अंक) एवं (2) चालन कौशल एवं प्रायोगिक (ट्रेड जांच) परीक्षा/ साक्षात्कार (50 अंक) कुल 450 अंकों की ली जायेगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 (दस) गुणा संख्या के बराबर परीक्षार्थियों का चालन कौशल एवं प्रायोगिक (ट्रेड जांच) परीक्षा/ साक्षात्कार हेतु चयन होगा। चालन कौशल परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी चयन के योग्य नहीं होंगे। **मेधा सूची-** लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक (ट्रेड जांच) परीक्षा/ साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोर्ट अधिमानता नहीं दी जायेगी।

16. समूह-6 - सुरक्षा प्रहरी, यह इंटरमीडिएट शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक योग्यता का पद है। उन्हें शारीरिक दोष, विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए। **शारीरिक मापदण्डः** (क) पुरुष: ऊँचाई - 167.5 से.मी. (तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. शिथिलनीय) छाती -76.5 से.मी. - 81 से.मी. दृष्टि - 6/12 बिना चश्में के दोनों आंखों से। (ख) स्त्रीः ऊँचाई- 154.6 से.मी. (तराई क्षेत्र के निवासियो के मामले में 2.4 से.मी. शिथिलनीय) दृष्टि - 6/12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से। एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण पत्र या विशिष्ट खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो या जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के टूर्नामेण्ट में प्रतिनिधित्व किया हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।

सीधी भर्ती हेतु (1) लिखित परीक्षा (400 अंक) एवं (2) शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (RFID आधारित दौड़) (50 अंक) कुल 450 अंकों की परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 (दस) गुणा संख्या के बराबर परीक्षार्थियों का शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (RFID आधारित दौड़) हेतु चयन होगा। लिखित परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। दौड़ स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा। **मेधा सूची-** लिखित परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा (RFID आधारित दौड़) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण पत्र धारक एवं विशिष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक को भी मेधा सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(1) **दौड़ - 50 (पच्चास अंक)**

सभी कोटि के पुरुषों के लिए - 01 (एक) मील (1.6 कि.मी.) [अधिकतम 06 मिनट में]

- 05 मिनट तक- - 50 अंक
- 05 मिनट से अधिक एवं 05 मिनट 20 सेकेंड तक - 40 अंक
- 05 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 05 मिनट 40 सेकेंड तक - 30 अंक

- 05 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 06 मिनट तक - 20 अंक

(06 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा।)

सभी कोटि की महिलाओं के लिए- 01 (एक) कि.मी. [अधिकतम 06 मिनट में]

- 05 मिनट तक- - 50 अंक
- 05 मिनट से अधिक एवं 05 मिनट 20 सेकेंड तक - 40 अंक
- 05 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 05 मिनट 40 सेकेंड तक - 30 अंक
- 05 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 06 मिनट तक - 20 अंक

(06 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा।)

(2) अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड :

(क) पुरुष: उँचाई- 167.5 से.मी. (न्यूनतम) (तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. शिथिलनीय)
छाती - 76.5 से.मी.(न्यूनतम बिना फुलाये), 81 से.मी. (न्यूनतम फुलाकर)
दृष्टि- 6/12 बिना चश्में के दोनों आंखों से।

(ख) महिला: उँचाई- 154.6 से.मी. (न्यूनतम) (तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 से.मी. शिथिलनीय)
दृष्टि- 6/12 बिना चश्में के दोनों आंखों से।

(3) एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण पत्र धारक को 5 अंक, अंन्तराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट खिलाड़ी को 5 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट खिलाड़ी को 3 अंक एवं विश्वविद्यालय के टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट खिलाड़ी को 2 अंक दिये जाएंगे । इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र पर अंक देय होगा अर्थात अधिकतम अंक 5 से ज्यादा नहीं होगा। उक्त वर्णित एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाण पत्र धारक एवं विशिष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक को भी मेधा सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

अध्याय - 6
(साक्षात्कार)

17. समूह-2 के जनसम्पर्क पदाधिकारी पद पर सीधी भर्त्ती हेतु अंतिम चरण में 15 अंको का साक्षात्कार एवं **समूह-4 के प्रतिवेदक के पद** पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम चरण में 15 अंको का साक्षात्कार लिया जायेगा।

18. समूह-8 के प्रोग्रामर पद पर सीधी भर्ती हेतु कुल 15 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

अध्याय - 7
(परीक्षा शुल्क)

19. (क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- ज्ञापांक-21/आयोग-02/2018, सा०प्र०- 15568/पटना-15, दिनांक- 21.08.2025 के आलोक में बिहार विधान परिषद् सचिवालय में सभी पदों पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र 100/- (एक सौ) रुपये निर्धारित किया जाता है।

(ख) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन आवेदन करते समय Net Banking/ Credit Card/ Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क भी देना होगा जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः ले लिया जायेगा।

20. **निरसन एवं व्यावृत्ति-** इस आदेश में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, बिहार विधान परिषद् सचिवालय (सीधी भर्ती की पद्धतियां) आदेश, 2023 एवं बिहार विधान परिषद् सचिवालय (सीधी भर्त्ती की पद्धतियाँ) (संशोधन) आदेश, 2025 और इस आदेश के लागू होने के ठीक पहले तत्प्रवृत आदेश एवं इस आदेश के तत्संग आदेश एतद् द्वारा निरसित (रिपिल्ड) किए जाते हैं।

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित आदेश के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इस आदेश के तत्संग उपबंधों के अध्यधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से।

नवीन
21-11-25
(नवीन कुमार मिश्र)
उप सचिव,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक सं.- वि.प.स्था.- 04/2019(नी.वि.)-....3486 (2)....वि.प., पटना। दिनांक....21.11.2025....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले.एवं ह.) बिहार, बीरचंद पटेल पथ, पटना/ प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना /सभी निदेशक, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/ उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद्, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नवीन
21-11-25
(नवीन कुमार मिश्र)
उप सचिव,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक सं.- वि.प.स्था.- 04/2019(नी.वि.)-....3486 (2)....वि.प., पटना। दिनांक....21.11.2025....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ सहायक प्रोग्रामर, बिहार विधान परिषद् को अधिसूचना की हार्ड कॉपी एवं सीडी तैयार कर अधीक्षक मुद्रणालय एवं ई-गजट कोषांग (वित्त विभाग) को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय से अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 100 प्रतियां इस सचिवालय को उपलब्ध कराने एवं ई-गजट में प्रकाशित कराने की कृपा करें।

नवीन
21-11-25
(नवीन कुमार मिश्र)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक सं.- वि.प.स्था.- 04/2019 (नी.वि.)-....3486 (2)....वि.प., पटना। दिनांक....21.11.2025....

प्रतिलिपि:- माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव, कार्यालय कोषांग, पटना/ माननीय उप सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव, कार्यालय कोषांग, पटना तथा सचिव, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव, कार्यालय कोषांग, पटना को मात्र सूचनार्थ प्रेषित।

नवीन
21-11-25
(नवीन कुमार मिश्र)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्।